नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 167.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में स्टाफ कार ड्राइवर (समूह 'ग' पद) की भर्ती की प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियमों को एतदद्वारा बनाते हैं, नामत : -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – (1) इन नियमों को 'जनजातीय कार्य मंत्रालय (स्टाफ कार ड्राइवर (समूह 'ग' पद)) पर भर्ती नियमावली, 2022' कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रारंभिक गठन – (1) स्टाफ कार ड्राइवर के पद का पदधारी, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से ठीक पहले उक्त पद पर नियुक्त किया गया था, इन नियमों के तहत नियुक्त किया गया माना जाएगा।

(2) इन नियमों के लागू होने से ठीक पहले क्रमश: ग्रेड में ऊपर निर्दिष्ट कर्मी की नियमित निरंतर सेवा को परिवीक्षा अवधि, वरिष्ठता, पदोन्नति के लिए अर्हक सेवा, पुष्टिकरण और सेवा पेंशन के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

3. पदों की संख्या, वेतन मैट्रिक्स में वर्गीकरण तथा स्तर (लेवल) - उक्त पदों की संख्या, तत्संबंधी संलग्न वेतन मैट्रिक्स में उनका वर्गीकरण और स्तर, इन नियमों के साथ सलंग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथा निर्दिष्ट होंगे।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अर्हताएं आदि - उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं और उससे संबंधित अन्य मामले उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथा निर्दिष्ट होंगे।

5. निरर्हता – कोई भी व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसकी पत्नी/पति जीवित है, अथवा

(ख) जिसकी पत्नी/पति जीवित है ने किसी भी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार, यदि संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह वाले अन्य पक्ष के लिए लागू वैयक्तिक कानून के तहत मान्य है और उस व्यक्ति के द्वारा ऐसा करने के अन्य कारण हैं तो किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने में छूट प्रदान कर सकती है।

6. छूट देने की शक्ति – जहाँ केंद्रीय सरकार का यह विचार है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो आदेशानुसार, कारणों को लिखित में दर्ज करते हुए किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान के तहत छूट दी जा सकेगी।

7. व्यावृत्ति – इन नियमों में से कोई भी इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगा।

अनुसूची

पद का नाम:	**पदों की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर।**	**क्या चयन पद है या अप्रवरण पद।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड)।	7*(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।	सामान्य केंद्रीय सेवा, अराजपत्रित, समूह 'ग, अलिपिकवर्गीय'	लेवल 2 (19900-63200 रुपये)।	लागू नहीं।

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा।	**सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।**	**क्या सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामलों में लागू होगी अथवा नहीं।**
(6)	(7)	(8)
18-27 वर्ष (केंद्र सरकार द्वारा जारी	**अनिवार्य:**	लागू नहीं।

निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक छूट) नोट: भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि आयु सीमा निर्धारित करने की तिथि होगी (और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहौल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी सब डिवीजन, संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लोगों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि नहीं होगी)।	i. मोटर कारों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना; ii. मोटर तंत्र (मेकेनिजम) का ज्ञान (उम्मीदवार को वाहन में मामूली खराबी को दूर करने में सक्षम होना चाहिए); iii. मोटर कार चलाने का कम से कम तीन साल का अनुभव हो; और iv. 10 वीं कक्षा में उत्तीर्ण। नोट 1- सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अनुभव संबंधी योग्यता में छूट दी जा सकती है। **नोट 2-** अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अनुभव के संबंध में अर्हता में छूट दी जा सकती है, यदि चयन के किसी भी स्तर पर, सक्षम प्राधिकारी की राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	

परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।**
(9)	(10)	(11)
सीधी भर्ती या पुनर्नियुक्ति के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा। सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन।	**प्रतिनियुक्ति या आमेलन:** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रु. 18000-56900) में नियमित डिस्पैच राइडर और (समूह 'ग') और समूह 'ग' कर्मचारियों में से, जिनके पास मोटर कार चलाने की क्षमता का आकलन करने के लिए ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर मोटर कारों को चलाने (ड्राइव करने) के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, जिसके न होने पर नियमित आधार पर डिस्पैच राइडर का पद धारण करने वाले कर्मचारी या केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालयों में वेतन मैट्रिक्स में लेवल -1 (18000-56900 रुपये) में नियमित समूह 'ग' कर्मचारियों में से जो कॉलम (7) में उल्लिखित आवश्यक योग्यताओं को पूरा करते हैं। **सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति अथवा पुनर्नियोजन:** ऐसे सशस्त्र बल कार्मिक जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जिन्हें एक वर्ष की अवधि के भीतर रिजर्व में स्थानांतरित किया जाना है और जिनके पास निर्धारित आवश्यक अनुभव और योग्यताएं हैं, पर भी विचार किया जाएगा और ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति दी जाएंगी, जिस दिन उन्हे सशस्त्र बल से कार्यमुक्त किया जाना है और उसके बाद उन्हें पुनर्नियोजन पर जारी रखा जा सकता है।

		नोट 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, आमतौर पर तीन साल से अधिक नहीं होगी। **नोट 2:** प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है।	**ऐसी परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।**
(12)	**(13)**
समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) – जिसमें निम्न शामिल हैं: i. निदेशक या उप-सचिव प्रशासन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग - अध्यक्ष; ii. अवर सचिव (स्थापना), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग -सदस्य, और iii. उप-निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग -सदस्य।	लागू नहीं।

[फा. सं. 20025/37/2021-एनसीएसटी]

अरविन्द मुदगल, अवर सचिव

New Delhi, the 1st November, 2022

G.S.R. 167.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver (Group 'C' post) in the National Commission for Scheduled Tribes, namely: -

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the National Commission for Scheduled Tribes, Staff Car Driver (Group C) Recruitment Rules, 2022,

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Initial Constitution. - (1) The personnel holding the post of Staff Car Driver immediately before the commencement of these rules on regular basis shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules.

(2) The regular continuous service of personnel referred above in the respectively grade immediately before the commencement of these rules shall count for the purpose of period of probation, seniority, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service.

3. Number of Posts, classification and level in pay matrix. - The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit, qualification etc.- The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in the pay matrix**	**Whether selection or non- selection post.**	**Age – limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Staff Car Driver ordinary Grade.	7* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-C, Non-Gazetted, Non-ministerial.	Level-2 Rs 19900-63200.	Not applicable.	18 to 27 years (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Government) **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Union Territory of Ladakh Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**
(7)	**(8)**	**(9)**
Essential: (i) possession of a valid driving license for motor cars; (ii) knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor-defects in vehicle); (iii) experience of driving a motor car for at least three years; and (iv) pass in 10th standard.	Not applicable.	Two years for direct recruits or re-employed .

Note 1: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the scheduled Castes or the scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment /deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.**
(10)	**(11)**
Deputation or absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel- Deputation/re-employment.	**Deputation or absorption:** From amongst the regular Despatch Rider (Group C) and Group C employees in Level -1 (Rs. 18000-56900) in the pay matrix in the National Commission for Scheduled Tribes who possess valid driving license for motor cars, on the basis of a driving test to assess the competence to drive motor cars, failing which from officials holding the post of Despatch Rider on regular basis or regular Group C employees in pay level-1 (Rs. 18000-56900) in the pay matrix in other Ministries of the Central Government who fulfil the necessary qualifications as mentioned in column (7). **Deputation or re-employment for Armed Forces Personnel:** The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up-to the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. **Note 1:** The period of deputation (including the period of deputation) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exits, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - i. Director or Deputy Secretary (Administration), National Commission for Scheduled Tribes- Chairperson	Not applicable.

ii. Under Secretary (Establishment), National Commission for Scheduled Tribes-Member iii. Deputy Director, National Commission for Scheduled Tribes-Member	

[F. No. 20025/37/2021-NCST]

ARVIND MUDGAL, Under Secy.

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2022

सा.का.नि. 168.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबंध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (समूह ग) अननुसचिवीय पदों के भर्ती नियम, 1979 केअधिक्रमण में, जहां तक वे स्टाफ कार चालक/चालक के पद से संबंधित हैं, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गयाहै या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण मुख्यालय औरउसके अधीनस्थ कार्यालयों में स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड, ग्रेड-II ग्रेड-I और विशेष ग्रेड) पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत मंत्रालय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड, ग्रेड-II, ग्रेड-I और विशेषग्रेड) (समूह 'ख' और समूह 'ग' पद), भर्ती नियम 2022 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना - ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्टपदों पर लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर - पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतनमान पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं इत्यादि - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

5. निरर्हता - कोई व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है,

कथित पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेता और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति -जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति –इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।